श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांकः–पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी कृष्णराम पुत्र जेमलराम जाति कुम्हार निवासी 34 केएसडी बुधरवाली तहसील सादुलशहर व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मूलरसीद, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसनामा, आई डी प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि मेरे पिता जेमलराम पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी 34 केएसडी (बुधरवाली) तहसील सादुलशहर व जिला श्रीगंगानगर ने दिनांक 30.05.2013 को वसीसत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 15.11.2019 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 30.05.2013 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

2021/201

प्रार्थी को गवाहान लिच्छीराम उर्फ लक्ष्मीनारायण पुत्र मनीराम एवं श्योपतराम पुत्र मामराज ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री आन्नद कुमार बिश्नोई, समेजा ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है। अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय